

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013 – माघ 26, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 46/सी.एस.ई.आर.सी/2013 विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क. 36) की धारा 181 (1) तथा 91 (4) एवं इस हेतु प्राप्त अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व प्रकाशन उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है;

1. विनियमों का शीर्षक तथा प्रारंभ

- (1) ये विनियम, “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013” कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम, दिनांक 1 मार्च 2013 से प्रभावशील होंगे।
- (3) इन विनियमों को ऐसे किसी तरीके से व्याख्यित या कार्यान्वयित नहीं किया जायेगा जो अधिनियम या उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमों के विपरीत हो।

2. परिभाषायें:—

- (1) इन विनियमों के अंतर्गत, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
 - (क) ‘अधिनियम’ अर्थात् विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क. 36)
 - (ख) ‘अध्यक्ष’ अर्थात् आयोग के अध्यक्ष

- (ग) 'आयोग' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
- (घ) 'परामर्शी' अर्थात् कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ जो आयोग के नियोजन में न हो तथा जो या तो कोई विशेष ज्ञान अनुभव अथवा योग्यता धारण करता हो या उस तक पहुंच रखता हो।
- (च) 'सदस्य' अर्थात् आयोग का सदस्य।
- (छ) 'सचिव' अर्थात् आयोग का सचिव।
- (ज) 'राज्य शासन' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य शासन।

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, परन्तु अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हों, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या उस अन्य विनियम में हो, परन्तु यदि आयोग द्वारा किसी विशेष संदर्भ में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तो संदर्भ अनुसार प्रयुक्त अर्थ ही मान्य होगा एवं उपरोक्त वर्णित सामान्य परिभाषाएं लागू नहीं होंगी।

3. प्रयोज्यता एवं विस्तार

परामर्शियों को निम्नांकित उद्देश्यों हेतु नियोजित किया जा सकता है:-

- (i) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वांछित एवं सम्यक विषयों पर विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराने हेतु।
- (ii) उत्कृष्ट कार्य पद्धतियों के अध्ययन, आंकड़ों के विश्लेषण, मानकों के विकास एवं इसी प्रकार के अन्य उद्देश्यों हेतु।
- (iii) ऐसे कार्यों के निर्वहन हेतु जिनके लिए या तो आयोग के अधीन आवश्यक अनुभव एवं योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध न हों या आयोग की दृष्टि में परामर्शियों की नियुक्ति से कार्य निष्पादन, गुणवत्ता, समय एवं अन्य दृष्टियों से ज्यादा प्रभावी एवं दक्ष तरीके से किया जा सकता हो।
- (iv) आयोग के कृत्यों के निर्वहन में सहायता हेतु, यदि आयोग संतुष्ट हो कि आयोग में कार्याधिक्य है या विभिन्न कारणों से नियमित पदों पर नियुक्तियाँ संभव नहीं हो पा रही है।

4. परामर्शियों का वर्गीकरण

परामर्शियों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:-

- (i) परामर्शी संस्था
- (ii) परामर्शी व्यक्ति
- (iii) व्यवसायिक विशेषज्ञ

5. संस्थागत परामर्शी की नियुक्ति

- (i) आयोग के संबंधित विभाग द्वारा यह संतुष्ट होने पर कि किसी कार्य हेतु ऐसी परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है, जो कि किसी संस्था या कंपनी या व्यक्तियों के संघ द्वारा दी जा सकती है, संबंधित विभाग द्वारा निदेशों के निबंधन (टर्म्स ऑफ रिफरेंस) सहित प्रस्ताव तैयार करेगा। प्रस्ताव में कार्य का विस्तृत प्रयोजन एवं विविध परिदेय (डिलीव्हेनल) परामर्शी की भूमिका एवं दायित्व निहित विभिन्न चरण (यथा कार्य विभाजन का विवरण एवं या समय सारणी) कार्य की प्रकृति एवं अवधि एवं प्रत्येक चरण की पूर्णता पर देय भुगतान आदि का विवरण होगा। परन्तु यह विवरण उपरोक्त बिन्दुओं तक ही सीमित रहने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रस्ताव आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

- (ii) अनुमोदन उपरांत, प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु आयोग सचिवालय को प्रेषित किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा सचिव के नेतृत्व में एक मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी जिसमें संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अतिरिक्त आयोग के वित्त विभाग का एक अधिकारी भी होगा। आवश्यक समझा जाने पर अध्यक्ष द्वारा एक बाहरी विशेषज्ञ को भी मूल्यांकन समिति में नामित किया जा सकता है।
- (iii) मूल्यांकन समिति, निविदाओं के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति एवं मानकों का आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगी, जिसमें कि तकनीकी प्रस्ताव को दिया जाने वाला महत्व (भार) भी सम्मिलित होगा।
- (iv) निविदाओं के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अर्हता मानकों के तय होने के पश्चात, मूल्यांकन समिति समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट में निविदा सूचना प्रकाशन के माध्यम से एक चरण में ही निविदा प्रस्ताव आमंत्रित करेगी जिसमें कि तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव (भाव पत्र) पृथक पृथक लिफाफों में मांगे जाएंगे। यह निविदा सूचना न्यूनतम तीन सप्ताह की होगी।
परन्तु यह कि अत्यावश्यक होने पर, कारणों को अभिलिखित करते हुए, आयोग के पूर्व अनुमोदन उपरांत, निविदा सूचना अवधि को तीन सप्ताह से कम किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में यह दो सप्ताह से कम नहीं होगी।
- (v) मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाओं का मूल्यांकन प्रत्येक मानक को पूर्व निर्धारित भार देते हुए किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि तीन से कम निविदाएँ प्राप्त होती हैं तो एकबारगी न्यूनतम 10 दिन का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा।
- (vi) परामर्शी की नियुक्ति आयोग के अनुमोदन उपरांत की जाएगी।
- (vii) इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी अत्यावश्यक प्रकृति के कारणों से या जहाँ कार्य किसी पूर्ववर्ती कार्य की निरंतरता में हो, कारणों को अभिलिखित करते हुए, आयोग किसी परामर्शी की सेवाएँ सीमित निविदा या एकल निविदा के आधार पर भी प्राप्त कर सकता है, तथापि यह प्रावधान केवल उन्हीं प्रकरणों में लागू होगा जहाँ वित्तीय प्रतिबद्धता ₹ 10 लाख से ज्यादा अनुमानित न हो।

6. किसी व्यक्ति की परामर्शी के रूप में नियुक्ति:-

- (i) अध्यक्ष द्वारा यह संतुष्ट होने पर कि ऐसी परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है जो कि उनकी राय में, किसी कार्य (विनियम 3 में विनिर्दिष्ट) हेतु आवश्यक अनुभव एवं योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अधिक दक्षता के साथ दी जा सकती है, ऐसे समय के लिए जैसा कि निर्धारित किया जाए, व्यक्तिगत आधार पर परामर्शी की नियुक्ति हेतु निर्णय लिया जा सकता है एवं सचिवालय को कार्य क्षेत्र एवं निदेशों का निबंधन (टर्म्स ऑफ रिफरेंस) तैयार करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।
- (ii) किसी व्यक्ति को परामर्शी के रूप में प्रतिधारण (रिटेनरशिप) के आधार पर या कार्य आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।
- (iii) प्रतिधारण के आधार पर परामर्शी के रूप में किसी व्यक्ति को, मासिक आधार पर या उसके किसी भाग के लिए समानुपातिक आधार पर, नियुक्त किया जा सकता है।
- (iv) अध्यक्ष द्वारा निर्णीत किए जाने पर, सचिवालय द्वारा औपचारिक प्रस्ताव बनाया जाएगा एवं कम से कम तीन विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की जाएगी। आयोग द्वारा इस सूची के अनुमोदन उपरांत, संबंधित व्यक्तियों से परामर्शी का कार्य स्वीकार करने हेतु सहमति एवं उनके द्वारा वांछित पारिश्रमिक की जानकारी प्राप्त कर, आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (v) आयोग सूचीबद्ध विशेषज्ञों में से किसी विशेषज्ञ की परामर्शी व्यक्ति के रूप में, ऐसे पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्ति अनुमोदित कर सकता है।

परन्तु यह कि केन्द्र शासन/राज्य शासन/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम/राज्य शासन के उपक्रम से सेवानिवृत्त कार्मिक की नियुक्ति के प्रकरण में, देय राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

{अंतिम आहरित मूल वेतन+ग्रेड पे+महंगाई भत्ता+गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास उपलब्ध न हो तो) + स्थापना के स्थान पर देय शहर क्षतिपूर्ति भत्ता)} - (कम्प्यूटेशन पूर्व की पेंशन+ पेंशन पर देय महंगाई राहत)

तथापि उपरोक्त उद्देश्य से गणना करते समय अंतिम आहरित मूल वेतन अधिकतम ₹ 67000/- एवं ग्रेड पे ₹ 10000/- ही माना जाएगा। यह सीमा वेतन पुनरीक्षण होने पर समतुल्य रूप से परिवर्तनीय होगी।

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के प्रकरण में, जो कि उपरोक्त परन्तुक की परिधि में न आता हो, मासिक आधार पर समेकित देयक, छ.ग. शासन के वित्त विभाग द्वारा ₹10000/-ग्रेड पे के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु समय समय पर नियत देय राशि के समान होगी। ऐसे प्रकरणों में जबकि वित्त विभाग द्वारा 10000/-ग्रेड पे के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु कोई राशि नियत न हो तो आयोग द्वारा देय समेकित राशि निर्धारित की जायेगी जो कि ₹62120/- (₹10000/- ग्रेड पे हेतु पे बैंड 4 में न्यूनतम देय वेतन) एवं नियुक्ति वर्ष के 1 जनवरी को देय महंगाई भत्ते के योग से अधिक नहीं होगी। यह सीमा वेतन पुनरीक्षण होने पर समतुल्य रूप से परिवर्तनीय होगी।

परन्तु यह भी कि किसी भी स्थिति में, प्रतिधारण के आधार पर नियुक्ति के प्रकरण में समेकित देय राशि अधिकतम ₹80000/- प्रति माह होगी एवं कार्य आधार पर नियुक्ति के प्रकरण में एक वित्तीय वर्ष में सकल देय राशि ₹9.60 लाख से अधिक नहीं होगी। यह सीमा वेतन पुनरीक्षण होने पर समतुल्य रूप से परिवर्तनीय होगी।

- (vi) किसी व्यक्ति की प्रतिधारण के आधार पर परामर्शी के रूप में नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए हो सकती है जो कि आवश्यकता एवं कार्य निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में पृथक पृथक निर्णीत करते हुए समुचित कारणों से एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती हैं। परन्तु ऐसे अनुबंधों में यह विस्तार अधिकतम दो बार ही संभव होगा।
- (vii) किसी भी प्रकरण में ऐसे परामर्शी की अधिकतम आयु छ.ग. राज्य शासन द्वारा अधिसूचित संविदा नियुक्ति नियमों के अंतर्गत समय समय पर प्राविधित अधिकतम आयु से अधिक नहीं होगी।
- (viii) नियुक्ति की अन्य शर्तें एवं निबंधन आयोग द्वारा समय समय पर छत्तीसगढ़ राज्य संविदा नियुक्ति नियमों के तारतम्य में लिए गए निर्णयों के अनुरूप होगी।

7. किसी व्यवसायिक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त करना:-

- (i) अध्यक्ष, आवश्यकता के संबंध में संतुष्ट होने पर, महत्वपूर्ण प्रकृति के किसी विषय पर सलाह हेतु व्यवसायिक विशेषज्ञ की नियुक्ति का निर्णय ले सकते हैं।
- (ii) अध्यक्ष द्वारा एतद निर्णीत किए जाने पर, सचिवालय द्वारा औपचारिक प्रस्ताव बनाया जाएगा एवं संबंधित क्षेत्र में वांछित अनुभव रखने वाले कम से कम तीन व्यवसायिक विशेषज्ञों की सूची तैयार की जाएगी। आयोग द्वारा इस सूची के अनुमोदन उपरांत, संबंधित व्यक्तियों से परामर्शी का कार्य स्वीकार करने हेतु सहमति एवं उनके द्वारा वांछित पारिश्रमिक की जानकारी प्राप्त कर, आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (iii) अध्यक्ष द्वारा सूचीबद्ध विशेषज्ञों में से किसी विशेषज्ञ की सेवाएँ व्यवसायिक सलाह हेतु, ऐसे पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, नियोजन के लिए अनुमोदित की जा सकती है। परन्तु एक वित्तीय वर्ष में सकल देय राशि रु. 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

(iv) नियोजन की अन्य शर्तें एवं निबंधन आयोग द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार होगी।

8. विविधः—

- (i) परामर्शी, आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा, परंतु वह स्वतंत्र व्यावसायिक विशेषज्ञ मत देने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (ii) आयोग को अपने स्वविवेक से परामर्शी की नियुक्ति करने या उसे हटाने, उसके कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का पूर्ण एवं अप्रतिबंधित अधिकार होगा।
- (iii) आयोग द्वारा नियुक्त परामर्शी, किसी भी स्थिति में, उन विषयों पर जिन पर कि आयोग द्वारा उसकी सेवाएँ प्राप्त की गई हों, किसी अन्य का न तो प्रतिनिधित्व करेगा और न ही उन्हे कोई राय अथवा सलाह देगा।
- (iv) आयोग की लिखित रूप से अभिव्यक्त सहमति के बिना, आयोग द्वारा नियुक्त कोई परामर्शी, आयोग के लिए एकत्र की गई किसी सूचना में सहभाग अथवा का उपयोग, प्रकाशन प्राकट्य या उसकी किसी के साथ सहभागिता नहीं करेगा और परामर्शी, संविदा की अवधि समाप्त होने के पूर्व समानुदेशन का संपूर्ण अभिलेख आयोग को हस्तांतरित करने हेतु कर्तव्यबद्ध होगा।
- (v) परामर्शी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन और अन्य सामग्री एकमात्र आयोग की संपत्ति होगी और उसका उपयोग, आयोग जिस रीति से चाहे कर सकेगा। आयोग को यह अधिकार होगा कि वह इसे अपनी वेबसाईट में प्रदर्शित कर सके।

9. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग द्वारा किसी विशिष्ट या सार्वत्रिक आदेश से, ऐसे प्रावधान बनाये जा सकते हैं जो कि अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों और कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या उचित जान पड़ें।

10. निरसन एवं व्यावृत्तियां

- (i) इन विनियमों में अन्यथा संरक्षित प्रावधानों के अतिरिक्त “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2005” एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (ii) उपरोक्त निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अंतर्गत किया गया या उसके उद्देश्यों हेतु कथित कोई कृत्य इन विनियमों के अंतर्गत किया हुआ ही माना जाएगा।

टीपः— इस विनियम के प्रावधानों की व्याख्या या अंग्रेजी/हिन्दी संस्करण में अंतर होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

Raipur Dated 15 Faburary 2013

No. 46/CSERC/2013 – In exercise of the powers conferred under Sections 181(1) and 91(4) of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely;

1. Title and Commencement of the Regulations:

- (i) These Regulations shall be called “Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2013”.

-
-
- (ii) The Regulations shall come into force w.e.f. 1st march 2013.
 - (iii) These regulations shall not be interpreted or implemented in any manner which is repugnant to any provision of the Act or Rules made thereunder.

2. Definitions:

- (i) In these Regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) **'Chairman'** means the Chairman of the Commission;
 - (c) **'Commission'** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.
 - (d) **'Consultant'** means any individual, firm, body or association of persons, who or which possess or has access to any specialized knowledge, experience or skill.
 - (e) **'Member'** means Member of the Commission;
 - (f) **'Secretary'** means the Secretary of the Commission;
 - (g) **'State Government'** means the Government of Chhattisgarh.
- (ii) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or any other Regulations notified by the Commission shall have the meaning assigned to them under the Act or such other Regulations notified by the Commission, provided that when a word or phrase is used by the Commission in a specific context, the meaning applicable in that specific context, shall prevail and the generic definition may not be applicable.

3. Scope and extent:

Consultants may be engaged for the following purposes, namely,—

- (i) Providing expert advice on specific issues of relevance and interest to the Commission;
- (ii) Conducting study of best practices, analyzing data, developing bench marks, or for any other similar purpose;
- (iii) Performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, time or for any other consideration;

- (iv) Assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints.

4. Categorization of consultants:

Consultant shall be categorized as:

- (i) Corporate Consultant
- (ii) Individual Consultant
- (iii) Professional Expert

5. Appointment of Corporate Consultants:

- (i) On being satisfied that there is a need for availing consultancy services on assignment basis which, in opinion of concern department of Commission, may be provided by a firm, or a company, or an association or body of persons, the concerned department shall prepare a proposal including terms of reference (TOR) indicating the detail scope of the work and various deliverables, role and responsibility of consultant, various milestones (e.g. work break down structure and/or schedule), nature and duration of assignment and the schedule of payments linked to achievement of each milestone but not restricted to above points. The proposal shall be submitted to the Commission for approval.
- (ii) After receiving the approval, the proposal shall be sent to secretariat for further necessary action. The Chairman shall constitute the evaluation committee headed by the Secretary, one officer of Commission having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained and one officer from the finance wing of the Commission. If considered necessary, an external expert may also be nominated by the Chairman as member of the evaluation committee.
- (iii) The evaluation committee shall obtain the approval of the Commission regarding procedure and parameters for evaluation of bids including weightage to be given to the technical proposal.
- (iv) After finalizing the pre qualification for evaluation of bid, the evaluation committee shall invite single stage bids, containing technical and financial proposals in separate sealed envelopes, through publication of notice in newspapers and on Commission's website. The period of notice shall be minimum of three weeks.

Provided that in matters of urgency and for reason to be recorded in writing, the period of notice may be reduced to less than three weeks but shall not be less than two weeks in any case, as may be decided with the prior approval of the Commission.

- (v) The evaluation committee shall evaluate the bids based on the pre-determined weightages allocated to each of the parameters:

Provided that in case less than three bids are received, the one time extension shall be considered for minimum 10 days.

- (vi) The consultant shall be engaged after obtaining approval of the Commission.
- (vii) Notwithstanding anything contained in this regulation, in matters of urgent nature or if the task represents continuation of previous work, with reasons to be recorded in writing, the Commission may avail consultancy services of a consultant on the basis of limited tender or single source basis also. However, this proviso shall be applicable only in such cases where financial commitment is not expected to exceed Rs. 10 lakhs.

6. **Appointment of Individual Consultant:**

- (i) The Chairperson, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services, which in its opinion can be more efficiently performed by an individual, having experience and qualification considered essential for an assignment (as specified in regulation 3 of these regulations), may decide to engage an individual consultant for such period as may be decided and direct the Secretariat to prepare the TOR including the scope of work.
- (ii) An individual consultant can be appointed on retainership basis and/or on assignment basis as the case may be.
- (iii) An individual consultant appointed on retainership basis may be appointed on monthly basis or part thereof on prorata basis.
- (iv) On the Chairperson so deciding, the Secretariat shall formalize the proposal and prepare a list of not less than three subject experts. On approval of the panel of names by the Commission, willingness to accept consultancy work and the fee demanded by each of them shall be obtained and submitted to the Commission.
- (v) The Commission may approve any of the empaneled expert for engagement as individual consultant, on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate.

Provided that in the case of appointment of employees retired from Central Govt. / State Govt./ CPSU / State Govt. Undertakings, fixation of remuneration shall be done as under:

{Last drawn Basic Pay + Grade Pay + Dearness Allowance + HRA (in case Govt accommodation has not been provided) + city compensatory allowance at the place of posting} – (pension Before commutation + dearness relief on pension).

However purpose of above calculation the last drawn basic pay and grade pay shall not be considered more then Rs. 67,000/- and Rs. 10,000/- respectively. The aforesaid ceiling shall be subject to corresponding revision at the time of pay revision.

Provided further that in case of appointment of the person not covered in aforesaid proviso the monthly consolidated remuneration shall be equal to the amount fixed by the Finance Deptt. of Govt. of Chhattisgarh from time to time for contract appointment on grade pay of Rs. 10,000/-. Further, in cases the finance deptt. has not specified the consolidated remuneration to be paid for contract appointment on a post having grade pay of Rs. 10,000/-, the remuneration to be paid shall be decided by Commission on case to case basis and such remuneration shall not be more than sum of Rs. 62,120/- (being minimum Pay in PB-4 for Grade Pay of Rs. 10,000/-) and dearness allowance payable as on 1st January of the year of appointment. The aforesaid ceiling shall be subject to corresponding revision at the time of pay revision.

Provided further; that in any case, the aggregate remuneration payable for appointment on retainership basis shall be maximum Rs. 80,000 per month and the aggregate fee payable in a financial year for appointment on assignment basis shall not exceed Rs. 9.60 lakh. The aforesaid ceiling shall be subject to corresponding revision at the time of pay revision.

- (vi) The period of engagement of an individual consultant appointed on retainership basis shall be for one year which can be extended on justifiable basis for another one years depending on the requirement & performance as decided by the Commission on case to case basis. However such extension will be allowed only twice against such contracts.
- (vii) The maximum age of such consultant shall not in any case exceed the age as may be prescribed in the Contract Appointment Rules notified by the Chhattisgarh State Govt. from time to time.

- (viii) The other terms and conditions of appointment shall be as decided by the Commission from time to time in line with Chhattisgarh State Govt. Contract Appointment rule.

7. Availing Services of a Professional Expert :

- (i) The Chairperson, on being satisfied for the need, may decide to engage a professional for advice on an issue of important nature.
- (ii) On the Chairperson so deciding, the Secretariat shall formalize the proposal and prepare a list of not less than three professionals having the requisite expertise in the field. On approval of the panel of names by the Commission, willingness to accept consultancy work and the fee demanded by each of them shall be obtained and submitted to the Commission.
- (iii) The Commission may approve any of the empaneled experts for availing professional services on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate: Provided that in a financial year the aggregate fee payable shall not exceed Rs. ten lakh.
- (iv) The other terms and conditions of appointment shall be as decided by the Commission from time to time.

8. Miscellaneous:

- (i) The consultants shall work under the control and supervision of the Chairman of the Commission or officers as may be authorized by him, but shall be liable to furnish its independent professional expert opinion.
- (ii) The Commission shall have full and unrestricted right to appoint or terminate, curtail or extend the terms of any consultant at its sole discretion,
- (iii) The consultants appointed by the Commission shall in no case represent or give opinion or advice to others in such matters for which their services have been availed by Commission.
- (iv) Without the express written consent of the Commission, a consultant appointed by the Commission shall not utilize, publish, disclose, or part with any information collected on behalf of the Commission. The consultant shall be duty bound to hand over the entire record of the assignment to the Commission before the expiry of the contract.

- (v) Reports and other materials delivered by the consultant shall become sole / property of the Commission and the Commission may use it in the manner it likes. The Commission shall have the right to post it on its website.

9. **Power to remove difficulties:**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order make provisions, not being inconsistent with the provisions of Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

10. **Repeal and Saving:**

- (i) Save as otherwise provided in these regulations, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2005 are hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

Note: - In case of any difference in the interpretation of regulation or difference in English / Hindi version, decision of the Commission shall be final and binding.

आयोग के आदेशानुसार
पी.एन. सिंह, सचिव